न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 13/2021

1. ईमरती देवी पुत्री धंशीराम पत्नी रमेश चन्द
2. पतासी देवी पुत्री धंशीराम पत्नी स्व. पप्पूराम
समस्त जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम जीणगौर तहसील पावटा जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज0)

अपीलान्टगण्

बनाम

1. मालाराम पुत्र धंशीराम
2. रामजीलाल पुत्र धंशीराम
3. रोहिताश पुत्र धंशीराम
समस्त जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम जीणगौर तहसील पावटा जिला जयपुर
4. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 05 ग्राम जीणगौर तहसील पावटा निर्णय दिनांक 27/5/1986 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली

निर्णय

दिनांक 12-1-2022

अपीलान्ट उक्त नामा.सं. 05 ग्राम जीणगौर तहसील पावटा निर्णय दिनांक 27/5/1986 स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली से व्यथित होकर जरिये अधिवक्ता अपील पेश की है, जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार पेश किये है कि आराजी हाल ख.नं. 595/0.31, 596/0. 94, 597/0.76, 598/0.2, 599/1.24 कुल किता 5 रकबा 3.27 है0 वाके मौजा जीणगौर तहसील पावटा के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार धन्शी पुत्र प्रभात थे। धन्शी पुत्र प्रभात की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान् उनके लडके रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 व लडकिया अपीलान्ट संख्या 01 व 02 व उनकी स्त्री पांची देवी पत्नी धन्शीराम उपरोक्त आराजी पर काबिज हुये धन्शी की मृत्यु के समय अपीलान्टगण् नाबालिग थी जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने धन्शीराम पुत्र प्रभात का विरासत इतकाल स्वयं अपने व पांची देवी पत्नी धन्शीराम के नाम दर्ज करवा लिया। अपीलान्टगण् का विवाह सम्पन्न होने के उपरान्त अपीलान्टगण् अपने ससुराल में निवासी करती है। इसलिए अपीलान्ट को उपरोक्त नामा. की जानकारी नहीं हुयी अब अपीलान्टगण् की माता श्रीमती पांची देवी का विरासत इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास जाने पर अपीलान्टगण् को उपरोक्त नामा. की जानकारी हुयी, जिस पर अपीलान्टगण् ने बिना देरी किये पटवारी हल्का से उक्त नामा. की नकल प्राप्त कर श्रीमान् के समक्ष अपील मय दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गयी है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उक्त नामा.सं. 5 स्वीकार द्वारा 27/5/1986 विधि विरूद्व जाकर न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण दुरूस्त किया जाना योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामा. को दर्ज करते समय ना तो अपीलान्ट को सूचित किया ना ही उन्हें सुनवायी का अवसर प्रदान किया अपितु अपीलान्टगण् की अनुपस्थिति में तहसीलदार कोटपूतली ने उपरोक्त नामा. दस्तदीक कर दिया। अपीलान्टगण् व रेस्पोडेन्ट की माता पांची देवी पत्नी धन्शी फौत हो चुकी है, जिनके जायन्दा वारिस अपीलान्टगण् व रेस्पोडेन्टस् है। अपीलान्टगण् धन्शी पुत्र प्रभात की जाईन्दा लडकियां है जो प्रथम वर्ग की वारिसान् है। अधिनस्थ न्यायालय को उपरोक्त नामा. दर्ज करते समय अपीलान्टगण् का रेस्पोडेन्टस् के साथ-साथ नाम दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये ही अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व श्रीमती पांची देवी पत्नी धन्शीराम के नाम उक्त नामा. दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है। उक्त नामा. अपीलन्टगण् की अनुपस्थिति में दर्ज किया है। इसलिए अपीलान्टगण् को जानकारी नहीं थी गत सप्ताह अपनी माता श्रीमती पांची देवी पत्नी धन्शीराम की मृत्यु होने के उपरान्त विरासत का इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास जाने पर राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर जानकारी दर्ज है, जिस पर अपीलान्ट ने बिना देरी किये उपरोक्त नामा. की नकल पटवारी हल्का से 24/3/2021 को प्राप्त कर श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की है जिसे सुनने व तैय करने का अधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा.सं. 5 ग्राम जीणगौर तहसील पावटा स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 27/5/1986 निरस्त किया जाकर धन्शीराम पुत्र प्रभात का विरासत इन्तकाल अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम व हिस्सा बराबर दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्टगण् की आरे से जरिये अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर रेस्पोडेन्टस की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री रामनिवास यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित आये।

बहस उभय पक्ष अधिवक्तागण् सुनी गयी, वकील अपीलान्ट ने अपील के मीमों में वर्णित तथ्य को दौहराते हुये अभिकथन किया कि ग्राम जीणगौर तहसील पावटा के आख. नं. 595/0.31, 596/0.94, 597/0.76, 598/0.02, 599/1.24 कुल किता 5 रकबा 3.27 में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार धन्शी पुत्र प्रभात था। धन्शी पुत्र प्रभात की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र रेस्पोडेन्टस व लडकिया अपीलान्टस एवं उनकी स्त्री पांची देवी पत्नी धंशी उक्त आराजी पर काबिज हुये। धंशी पुत्र प्रभात की मृत्यु के समय अपीलान्टस नाबालिग थी जिसका फायदा उठाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अकेले अपने नाम व माता पांची देवी के नाम नामा.सं. 5 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली से दिनांक 27/5/86 को स्वीकार करा लिया। अपीलान्टस् की शादी होने के उपरान्त अपने ससुराल में निवास करती है। इसलिए उक्त नामा. की जानकारी नई हुयी। अपीलान्टस् अपनी माता पांची देवी का विरासत इन्तकाल खुलवाने हेतु पटवारी हल्का के पास जाने पर उक्त नामा. की जानकारी हुयी, जानकारी होते ही पटवारी हल्का से 24/3/2021 को नकल प्राप्त कर श्रीमान् न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामा.सं. 5 वाके ग्राम जीणगौर का नामा. करते समय मृत्क धंशी पुत्र प्रभात के सभी वारिसान की जांच कर ही उक्त नामा. उन्हें दर्ज करना चाहिए था। उक्त नामा. में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व उनकी माता पांची देवी पत्नी धंशी के नाम ही दर्ज किया है, जबकि अपीलान्टगण् इमरती व पतासी देवी मृत्क धंशी पुत्र प्रभात की जाईन्दा पुत्रियां है उनका नाम भी उक्त नामा. में दर्ज करना चाहिए था, किन्तु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रों के समान लडकियां का भी सम्पतित्त में बराबर का अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामा. दर्ज करते समय अपीलान्टस् को सुनवायी का अवसर

अति. जिला कलक्टर

प्रदान किये बिना अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम उपरोक्त नामा. स्वीकार किया है तो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है अपीलान्टस् को उनकी माता की मृत्यु होने पर विरासत का इन्तकाल दर्ज कराने पटवारी हल्का के पास जाने पर हुयी जिसकी नकल दिनांक 24/3/2021 को प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जांच पडताल किये अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व उनकी माता के नाम ही उक्त नामा. दर्ज किया जाकर दिनांक 27/5/86 को स्वीकार किया है जो विधि विरूद्व है, जबकि अपीलान्टस भी अपने पिता धंशी पुत्र प्रभात की जाईन्दा पुत्रियां है। इसलिए उक्त नामा. अपास्त किया जाना न्याय संगत है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का बहस में अभिकथन है कि अपीलान्टस् को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् से ही शुरू से जानकारी रही है। उपरोक्त नामा.सं. 5 वाके ग्राम जीणगौर तहसील कोटपूतली का दिनांक 27/5/86 को स्वीकार हुआ है लगभग 35 वर्ष पश्चात् चुनौती दी गयी है जो मियाद बहार पेश की है तथा अपीलान्टगण् ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेवजह पक्षकार बनाया है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि दिनांक 8/2/2021 को राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामूराम जाति बलाई निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को अपील पेश करने से पूर्व ही जरिये विकय पत्र से बेचान कर दिया था लेकिन अपीलान्ट को जानबूझकर मिन रेस्पोडेन्ट को उक्त अपील में पक्षकार बनाया है ऐसी स्थिति में पक्षकार कुसंयोजन के आधार पर अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज फरमावें

चूँकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतों का अवलोकन करने से नामा.सं. 5 में धंशी फौत होने पर उनकी विरासत का नामा. माला रामजीलाल लाला पिता धंशी मु. पांची बेवा धंशी के नाम दर्ज होना पाया गया। उक्त नामा. को दर्ज करते समय तहसीलदार द्वारा धंशी के विधिक वारिसान् की जांच पडताल किये बिना एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उन्हें सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना उक्त नामा. तस्दीक किया है जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का भी धंशी के पुत्रों के समान रूप से उनका उक्त भूमि पर बराबर का हिस्सा है। इसलिए उक्त नामा. विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याया संगत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामां. सं. 5 वाके ग्राम जीणगौर तहसील कोटपूतली स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 27/5/86 को अपास्त किया जाता है तथा धंशी पुत्र प्रभात का विरासत इन्तकाल अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के नाम ब हिस्सा बराबर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)